कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

e-mail-ecmpgwl@hotmail.com

क्रमांक 6--ब--1 / क्लब / 2012-13 / 08 ग्वालियर, दिनांक 14.01.2012

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश

विषयः– वर्ष 2012–13 के लिए क्लबों में नवीन बार लायसेंस स्वीकृत किये जाने एवं 2011–12 में संचालित सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.–4) और व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) लायसेंस को वर्ष 2012–13 के लिए पुनःस्वीकृत किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– वाणिज्यिक कर विभाग का पत्र क्रमांक बी–1–51/2011/2/पांच दिनांक 26 दिसम्बर, 2011

शासन द्वारा घोषित नीति अनुसार सिविलियन और व्यावसायिक क्लबों में क्लब के पंजीकृत सदस्यों एवं उनके वास्तविक अतिथियों को स्वल्पाहार/भोजन के साथ, विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन, बीयर आदि) उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से, राज्य शासन द्वारा विनिश्चित किये गये मापदण्डों का पालन करने वाले पात्र सिविलियन और व्यावसायिक क्लबों को बार लायसेंस स्वीकृत किया जाना प्रावधानित है।

विभाग को ऐसी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि राज्य शासन द्वारा नवीन व्यावसायिक क्लब बार लायसेंस की स्वीकृति हेतु जो मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, उनमें से अधिकांश निरीक्षण के अवसर पर ही उपलब्ध होते हैं। कतिपय ऐसे व्यावसायिक क्लब बार, विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के समानान्तर, केवल विदेशी मदिरा विक्रय का केन्द्र बनकर रह जाते हैं। परिणामतः इससे समीपवर्ती मदिरा दुकानों के लायसेंसियों को हानि होती है। शासन निर्देशों के पालन की दृष्टि से भी यह उपयुक्त नहीं है।

अतः यह आवश्यक है कि इस कार्यालय द्वारा जारी किये जा रहे निम्न निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2012–13 के लिए जिस व्यावसायिक क्लब बार लायसेंसों की पुनःस्वीकृति के प्रस्ताव आपके द्वारा भेजे जायें, उनमें अधीनस्थ सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी से कार्यालय प्रमुख के रूप में अतिरिक्त रूप से यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि बार लायसेंस स्वीकृत किये जाने के लिये, जो मापदण्ड शासन द्वारा निर्धारित किये गये हैं, वे सम्यक रूप से वर्तमान में भी प्रभावी एवं उपलब्ध हों।

निष्कर्षतः किसी वर्तमान व्यावसायिक क्लब बार लायसेंस को वर्ष 2012--13 के लिए, बार लायसेंस की पुनःस्वीकृति की अनुशंसा करते समय आप इस तथ्य से अवगत रहें कि जिस व्यावसायिक क्लब के लिए बार लायसेंस की पुनः स्वीकृति की अनुशंसा की जा रही है, वहां मदिरा मुख्यतः क्लब के पंजीकृत सदस्यों एवं उनके वास्तविक अतिथियों को ही स्वल्पाहार/भोजन के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। आवेदक का उद्देश्य, मदिरा का विक्रय करना मात्र नहीं है।

तदनुसार वाणिज्यिक कर विभाग के संदर्भित पत्र में उल्लेखित निर्देशों एवं पूर्व आदेशित व्यवस्था के अनुक्रम में, वर्ष 2011–12 में संचालित उपरोक्त लायसेंसों की वर्ष 2012–13 के लिए पुनःस्वीकृति के प्रकरण वार, पृथक–पृथक प्रस्ताव, निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों एवं वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति उपरान्त, दिनांक **29.02.2012** तक आपकी स्पष्ट अनुशंसा के साथ भेजे जायें। निर्देशों के विपरीत एवं वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के बिना, अपूर्ण अथवा निर्धारित

तिथि के उपरान्त प्राप्त प्रकरणों की स्वीकृति में लगने वाले विलंब के लिए, संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी उत्तरदायी होंगे। वर्ष 2012–13 में नवीन सिविलियन और व्यावसायिक क्लब बार लायसेंसों की स्वीकृति के प्रस्ताव भी, उपरोक्तानुसार ही आवश्यक परीक्षण उपरान्त आपकी स्पष्ट अनुशंसा के साथ भेजे जायें।

1. नवीन क्लब बार लायसेंसों की स्वीकृति की अनुशंसा :–

1.1 वर्ष 2012–13 में निर्धारित मापदण्डों की विधिवत पूर्ति करने वाले सिविलियन एवं व्यावसायिक क्लबों के संबंध में, जिले के कलेक्टर द्वारा की गई अनुशंसा सहित प्रेषित प्रस्ताव पर, विचारोपरान्त नवीन सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.–4) तथा/अथवा व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) लायसेंस, नियत वार्षिक लायसेंस फीस के अग्रिम भुगतान के विरूद्ध स्वीकृत किये जा सकेंगे।

1.2 सामान्य प्रयुक्ति के नियमों एवं अन्य प्रतिबन्धों के विपरीत, किसी भी नवीन क्लब बार लायसेंस की स्वीकृति हेतु अग्रेषित प्रकरण/आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. नवीन व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) लायसेंस की स्वीकृति अथवा वर्ष 2011–12 में संचालित लायसेंस की पुनःस्वीकृति के लिए मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :–

व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) लायसेंस किसी ऐसी कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों की संस्था अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठान को स्वीकृत किये जा सकेंगे, जिसके पास निम्न सूचीबद्ध सुविधाओं में से कम से कम पांच सुविधाएं उपलब्ध हों। उसमें निम्नलिखित क्रमांक (1) एवं (2) पर उल्लेखित सुविधा का होना अनिवार्य है।

(1) तरणताल।
(2) व्यायाम शाला, जिसमें शारीरिक व्यायाम हेतु कम से कम 12 आयटम हो।
(3) बैडमिन्टन हॉल।
(4) बिलियर्ड्स/पूल टेबल।
(5) टेबल टेनिस हॉल।
(6) स्क्वैश कोर्ट।
(7) कार्ड्स रूम।
(8) लॉन टेनिस कोर्ट।

3. वर्ष 2012–13 के लिए क्लब बार लायसेंसों की पुनःस्वीकृति :–

वर्ष 2011–12 में स्वीकृत किये गये क्लब बार लायसेंस, वर्ष 2012–13 के लिए शासन द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत, देय वार्षिक लायसेंस फीस के अग्रिम भुगतान के अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों की पूर्ति के अध्यधीन स्वीकृत किये जायेंगे।

3.1 वर्ष 2012–13 के लिए क्लब बार लायसेंस, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 के उपबन्धों तथा लायसेंस की शर्तों के सम्यक पालन किये जाने के साथ–साथ, लायसेंसी के वर्ष 2011–12 में अच्छे आचरण, अभिलेखों के सही–सही संधारण की शर्त पर ही पुनःस्वीकृत किये जायेंगे। अतः पुनःस्वीकृति हेतु भेजे जाने वाले प्रस्तावों में, उपरोक्त बिन्दुओं पर सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी से स्पष्ट अभिमत अंकित कराया जाये।

3.2 वर्ष 2011–12 में लायसेंसी द्वारा, किस–किस श्रेणी की कितनी–कितनी विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं बीयर) का प्रदाय लिया/विक्रय किया गया है, इसकी लेबिलवार मात्रा का लेखा, अधीनस्थ सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी से सत्यापित कराया जाकर, प्रतिवेदन में अनिवार्यतः संलग्न कराया जाये।

3.3 वर्ष 2011–12 के दौरान जिस क्लब बार लायसेंस के संबंध में निर्धारित मापदण्डों के विपरीत कार्य संधारण की शिकायतें प्राप्त हुई हों, उनके लायसेंसों के पुनःस्वीकृति संबंधी प्रस्ताव भेजने के पूर्व, अधीनस्थ सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी से पुनः निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त कर, इसका स्पष्ट उल्लेख प्रतिवेदन में यथास्थिति कराया जाये।

3.4 शासन निर्देशानुसार सभी क्लब बार लायसेंसों की पुनःस्वीकृति के संबंध में, प्रतिबन्ध यह भी है कि, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 के प्रावधानों व स्वीकृत लायसेंस पास या परमिट की शर्तो के उल्लंघन की दशा में, एक मात्र दण्ड संबंधित लायसेंस का निरस्तीकरण प्रस्तावित किया जाना है। अब यह विकल्प नहीं है कि लायसेंस की किसी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, लायसेंस का निलम्बन या निरस्तीकरण प्रस्तावित न करते हुए, मात्र चेतावनी या छोटा दण्ड देकर छोड़ दिया जाये।

3.5 तद्नुसार प्रतिवेदन में यह स्पष्टतः उल्लेखित किया जाये कि अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों द्वारा वर्ष 2011–12 में संबंधित सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.–4) और व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) लायसेंसों के कितनी बार प्रभावी निरीक्षण किये गये हैं ? निरीक्षण में पायी गयी अनियमितताओं के लिए, उसके विरूद्ध कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं ? क्या गंभीर अनियमितताओं से संबंधित कोई प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है ? उक्त निरीक्षणों में निर्धारित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर से कम प्रदाय दर की विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) का धारण/विक्रय किये जाने, निर्धारित धारिता से कम धारिता की बोतल में विदेशी मदिरा (स्पिरिट) का संग्रह पाये जाने अथवा विदेशी मदिरा स्कंध का सही–सही लेखा संधारित न किये जाने संबंधी अनियमितता को गंभीर अपराध मानकर कार्यवाही की गयी हो, तो प्रतिवेदन में इसका उल्लेख भी किया जाये।

4. सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.–4) और व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) लायसेंस के अन्तर्गत विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बन्द (**Bottle in Origin**) आयातित विदेशी मदिरा के अतिरिक्त, केवल निम्नलिखित भारत निर्मित विदेशी मदिरा (**IMFL**) बेचने की अनुमति रहेगी।

4.1 ड्राफ्ट बीयर

4.2 बीयर, जिसकी प्रति केस (12 क्वार्ट बोतल) एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर, ₹ 300/– से कम न हो।

4.3 स्पिरिट (व्हिस्की तथा वाईन आदि) जिसकी प्रति केस (12 क्वार्ट बोतल) एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर, ₹ 1100/– से कम न हो।

4.4 विदेशी मदिरा (रम, जिन, ब्राण्डी एवं वोदका आदि) जिसकी प्रति केस (12 क्वार्ट बोतल) एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर, ₹ 600/– से कम न हो।

5. क्लब बार लायसेंस के अन्तर्गत संग्रहित विदेशी मदिरा की बोतलों की धारिता :–

क्लब बार लायसेंस के अन्तर्गत, माल्ट मदिरा से भिन्न, विदेशी मदिरा (व्हिस्की, रम, जिन, ब्राण्डी एवं वोदका आदि) न्यूनतम 700 मिलीलीटर क्षमता की सील बन्द बोतलों में संग्रहित की जायेगी एवं बोतल की सील खोलकर विक्रय की जायेगी। ड्राफ्ट बीयर को छोड़कर, विदेशी मदिरा माल्ट (बीयर) 325 मिलीलीटर या इससे अधिक क्षमता की कैन **(Can)** या सीलबन्द कांच की बोतलों में तथा वाईन 180 मिलीलीटर या इससे अधिक क्षमता की सीलबन्द कांच की बोतलों में संग्रहित की जायेगी एवं बोतल की सील खोलकर विक्रय की जायेगी।

नोट :– लायसेंसी अनुज्ञप्त परिसर में विदेशी मदिरा का विक्रय, क्लब के पंजीकृत सदस्यों एवं सदस्यों के साथ आये उनके वास्तविक अतिथियों को ही कर सकेगा।

6. **विदेशी मदिरा की आपूर्ति :–**

वर्ष 2012–13 में क्लब बार लायसेंस में विदेशी मदिरा की आपूर्ति की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :–

6.1 ड्राफ्ट बीयर, निर्माता इकाई से सीधे प्रदाय की जायेगी। क्लब बार लायसेंसी द्वारा वांछित मात्रा के लिये नियत दर पर, देय ड्यूटी के अग्रिम भुगतान के बाद, नियमानुसार जारी किये, अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर, ड्राफ्ट बीयर का परिवहन, निर्माता इकाई के प्रभारी अधिकारी द्वारा ऐसी ड्राफ्ट बीयर के परिवहन के लिये जारी किये गये परिवहन पार–पत्र पर अनुमत होगा।

6.2 क्लब बार लायसेंसी द्वारा ड्राफ्ट बीयर को छोड़कर, विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बंद, **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा का क्रय, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित की गयी, निकटस्थ स्थापित एक ही विदेशी मदिरा एफ.एल.–1 / एफ.एल.–1 ककककक दुकान से किया जायेगा।

6.3 क्लब बार लायसेंसी को वांछित ब्राण्ड / लेबिल की विदेशी मदिरा उपलब्ध न होने पर, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा दी गयी अनुमति के अधीन, उसी जिले की ही किसी अन्य विदेशी मदिरा एफ.एल.–1 / एफ.एल.–1 ककककक दुकान से अथवा विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बन्द **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा को देय आयात फीस एवं बोतल फीस के अग्रिम भुगतान के विरूद्ध, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा दी गई स्वीकृति के अधीन जारी किये गये आयात परमिट पर, इस हेतु अधिकृत कस्टम बॉण्डेड वेयर हाउस लायसेंसी से क्रय एवं परिवहन की जा सकेगी।

7. **वर्ष 2012–13 के लिए सिविलियन क्लब बार तथा व्यावसायिक क्लब बार लायसेंस के लिए वार्षिक लायसेंस फीस निम्नलिखित अनुसार रहेगी :–**

क्र	लायसेंस का प्रकार	विवरण	वार्षिक लायसेंस फीस
1	सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.–4)	–––––	**₹ 60,000 /–**
2	व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क)	नगरीय क्षेत्र	**₹ 4,00,000 /–**
		ग्रामीण क्षेत्र	**₹ 2,00,000 /–**

तद्नुसार क्लब बार लायसेंसों की पुनःस्वीकृति हेतु भेजे जाने वाले प्रस्ताव, देय लायसेंस फीस के कोषालय में जमा हो जाने के प्रमाण के रूप में कोषालय चालान की मूल प्रति एवं कोषालय सत्यापन प्रमाण पत्र को संलग्न कर भिजवाये जायें।

नोट:– सभी सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.–4) तथा व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) लायसेंसों के लिए वार्षिक लायसेंस फीस उपरोक्तानुसार ही रहेगी। भले ही लायसेंस वर्ष के किसी अंश (आंशिक अवधि) के लिए स्वीकृत किया गया / लिया गया हो।

8. व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) लायसेंसों के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में भी मिनिमम गारंटी (न्यूनतम विक्रय परिमाण) निर्धारित की जावेगी। संबंधित क्लब बार लायसेंसों की सम्पूर्ण वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारित विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं बीयर)

की मिनिमम गारंटी की मात्रा में 20 (बीस) प्रतिशत की वृद्धि की जाकर, वर्ष 2012–13 के लिए मिनिमम गारंटी (न्यूनतम विक्रय परिणाम) निर्धारित की जावेगी।

9. वर्ष 2011–12 में एक वर्ष से अल्प अवधि के लिए प्रथम बार स्वीकृत किये गये नवीन व्यवसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) लायसेंस की निर्धारित की गयी विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं बीयर) की मिनिमम गारंटी के आधार पर, सम्पूर्ण वर्ष 2011–12 के लिए परिगणित समानुपातिक मिनिमम गारंटी की मात्रा में 20 (बीस) प्रतिशत की वृद्धि की जाकर, वर्ष 2012–13 के लिए मिनिमम गारंटी (न्यूनतम विक्रय परिणाम) निर्धारित की जावेगी।

10. वर्ष 2012–13 में स्वीकृत किये जाने वाले नवीन व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) लायसेंस में जिला कलेक्टर, संबंधित उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के परामर्श से, संबंधित बार की विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं बीयर) की मिनिमम गारंटी (न्यूनतम विक्रय परिमाण) तय कर सकेंगे।

11. त्रैमासिक आधार पर लायसेंसी द्वारा निर्धारित मिनिमम गांरटी (न्यूनतम विक्रय परिणाम) के समतुल्य विदेशी मदिरा (स्पिरिट व बीयर) क्रय न किये जाने की स्थिति में, ऐसी कम क्रय की गई विदेशी मदिरा (स्पिरिट) की मात्रा पर अधिकतम ₹ 750/– प्रति प्रूफ लीटर एवं विदेशी मदिरा (बीयर) पर अधिकतम ₹ 40/– प्रति बल्क लीटर की दर से, संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा शास्ति अधिरोपित की जावेगी।

12. यदि लायसेंसधारी वर्ष के लिए या लायसेंस की कालावधि के लिए नियत स्पिरिट/ वाईन एवं माल्ट (बीयर) की न्यूनतम मात्रा क्रय नहीं करता है, तो संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा, स्पिरिट/वाईन एवं माल्ट (बीयर) मदिरा की कम क्रय की गई, कुल मात्रा पर उपरोक्तानुसार शास्ति अधिरोपित की जाकर, यथास्थिति शास्ति की वसूल की गई राशि वापिस की जायेगी या यथास्थिति वसूल की जायेगी।

अथवा

यदि वित्तीय वर्ष या लायसेंस की कालावधि की समाप्ति पर वर्ष के लिए अथवा लायसेंस की कालावधि के लिए नियत स्पिरिट/वाईन एवं माल्ट (बीयर) मदिरा की लायसेंसी द्वारा पूरी न्यूनतम मात्रा क्रय कर ली जाती है, तो शास्ति की इस प्रकार वसूल की गई या जमा की गई राशि वापस कर दी जायेगी।

13. वर्तमान में संचालित व्यवसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) लायसेंस वर्ष 2012–13 के लिए पुनःस्वीकृति उपरान्त किस निकटतम स्थित विदेशी मदिरा (एफ.एल.–1–कककक/ एफ.एल.–1) दुकान से सम्बद्ध रहेंगे, इसकी घोषणा विदेशी मदिरा दुकानों के निष्पादन के पूर्व किया जाना अनिवार्य होगा।

14. प्रतिभूति प्रस्तुत की जाना :–

मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 20 के प्रावधान अनुसार, प्रत्येक सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.–4) तथा व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) लायसेंसी को, उसकी देय वार्षिक लायसेंस फीस की 25 प्रतिशत के समतुल्य राशि की प्रतिभूति नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी आधिकारी के पक्ष में, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में, जो दिनांक 30.06.2013 तक की अवधि के लिए वैध हो अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त /जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में दिनांक 30.06. 2013 तक के लिए वैध एवं बन्धक किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा द्वारा जारी बैंक सावधि जमा **Fixed Deposit** के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त की पूर्ति उपरान्त ही उसे लायसेंस जारी किया जायेगा। लायसेंस की

शर्तों अथवा अन्य प्रभावशील नियमों का उल्लंघन करने पर अथवा त्रैमासिक आधार पर की गई समीक्षा में अवशेष मिनिमम गारंटी पर, यदि कोई आरोपित शास्ति/संधान राशि अथवा किसी प्रकार की अन्य राशि वसूली के लिए शेष रह जाती है, तो जमा उक्त प्रतिभूति की राशि से उसकी वसूली/प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जा सकेगी। अतः पुनःस्वीकृति हेतु भेजे जाने वाले प्रस्ताव के साथ, ऐसी प्रतिभूति की मूल प्रति कार्यालय में सुरक्षित रख कर सत्यापित छायाप्रति संलग्न भिजवायी जाये।

15. वर्ष 2012–13 के लिए सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.–4) तथा व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) लायसेंसों की स्वीकृति व संचालन संबंधी अन्य व्यवस्थाऐं, जिनका उल्लेख इस निर्देश पत्र में नहीं किया गया है, वे व्यवस्थाएं वर्ष 2011–12 की भांति यथावत रहेंगी।

(एस.के.वेद)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृष्ठां. क्रमांक 6–ब–1/क्लब/2012–13/09 ग्वालियर, दिनांक 14.01.2012

प्रतिलिपिः–

1. अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन/तकनीकी) की ओर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त आबकारी (प्रशासन/तकनीकी) मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक (वित्त) मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।
4. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय, उड़नदस्ता, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6. सहायक आबकारी आयुक्त, मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर, उपरोक्तानुसार वर्तमान में संचालित सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.–4) और व्यवसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) ~~के~~
लायसेंसी द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए लायसेंस पुनःस्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के संलग्न प्रस्तुत अभिलेखों की छायाप्रतियों को, मूल प्रति से अभिप्रमाणित कर, जिला कलेक्टर के माध्यम से निर्धारित समय–सीमा में भिजवाये जाने हेतु।
8. सहायक जिला आबकारी अधिकारी, मुख्यालय (आसवनी/रीडर/तकनीकी) की ओर सूचनार्थ
9. निज सहायक, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

(एस.के.वेद)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश